227

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

निग–४२४–II–16

1— नर्मदा शर्मा पिता जमना प्रसाद शर्मा,

2— श्रीराम शर्मा पिता जमना प्रसाद शर्मा,

निबासी ग्राम हटा , तहसील हटा जिला दमोह म0 प्र0 ....आवेदकगण

वनाम

1— देवेन्द्र चौरसिया तनय नर्मदा प्रसाद चौरसिया ,

2— अशोक कुमार पिता नर्मदा प्रसाद चौरसिया ,

निबासी ग्राम सकौर , तहसील हटा जिला दमोह म0 प्र0 .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय हटा जिला दमोह द्वारा प्र0क0 337/ब121 बर्ष 2015—16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 06/01/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण के नाम से ग्राम हटा तहसील हटा जिला दमोह में खसरा नंबर 268/19, 268/21 एवं खसरा नंबर 268/24 में प्लॉट हैं, जिन पर आवेदकगणं कय दिनांक से ही बाउंडी वॉल बनाकर मालिक काबिज चलें आ रहे है। जिसके संबंध में अनावेदक द्वारा एक नक्शा सुधार का आवेदनपत्र तहसीलदार हटा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर विधि विरूद्व तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नक्शा दुरूस्ती कर दी गई थी, जिसके संबंध में राजस्व मंडल ग्वालियर में निगरानी लंबित है तथा अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेशों पर स्थगन है।

3— यह कि आवेदकगण अपने भूमि स्वामी हक एवं कब्जा की उपरोक्त भूमि पर पिलर खोदकर निर्माण कार्य कर रहे थे, जिसे रोके जाने वावद अनावेदकगण द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार महोदय हटा जिला दमोह के न्यायायल में प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा आवेदनगण को ना तो सूचनापत्र जारी किया ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा वाला वाला तरीके से स्थल निरीक्षण कराकर अपने द्वारा एक पक्षीय आदेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 424/दो/2016 जिला–दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26.12.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार हटा जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 337/ब–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण के नाम से ग्राम हटा तहसील हटा जिला दमोह में खसरा नं. 268/19,268/21 एवं खसरा नं. 268/24 में प्लॉट है। जिसपर आवेदकगण कि क्रय दिनांक से ही बाउड्री बॉल बनाकर कब्जा चला आ रहा है। जिसके संबंध में अनावेदक द्वारा एक नक्शा सुधार का आवेदन पत्र तहसीलदार हटा के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर विधि विरूद्व तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नक्शा दुरूस्ती कर दी गयी थी। जिसके संबंध में राजस्व मण्डल में निगरानी प्रकरण क्रमांक 4240/दो/2012 प्रस्तुत किया गया था। जो विचाराधीन है तथा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेशो पर स्थगन है। जब आवेदकगण अपने भूमि स्वामी हक व कब्जे की उपरोक्त भूमि पर पिलर खोद का निर्माण कार्य कर रहे थे उसे रोके जाने बावत् अनावेदकगण द्वारा आवेदन पत्र तहसीलदार हटा जिला दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार तहसीलदार आवेदकगण को न तो सूचना पत्र जारी किया और न ही साक्ष्य एवं सनुवाई का अवसर प्रदान किया। बल्कि बाला–बाला तरीके से स्थल	

निरीक्षण कराकर एक पक्षीय आदेश करके बादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थगन आदेश जारी कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि संहिता की विवादित भूमि आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है। जिसपर पूर्व से आवेदकगण का कब्जा है पक्की बाउड्री बॉल बनी हुयी है जिसपर वह पिलर खोदकर दीवार बना रहे थे। उपरोक्त भूमि से अनावेदकगण का कोई लेना देना नहीं है, तहसीलदार हटा द्वारा आदेश दिनांक 06.01.2016 पारित कर अनावेदक के हित में स्थगन आदेश जारी किया है। उपरोक्त प्रकरण से संबंधित मूल प्रकरण क्रमांक 4240/दो/2012 माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ऐसी स्थिति में तहसीलदार हटा द्वारा जो कार्यवाही की जाकर स्थगन आदेश जारी किया है। अपास्त किया जाये एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अनावेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार हटा द्वारा जो आदेश दिनांक 06.01.2016 को पारित किया है वह अपने स्थान पर विधिवत् एवं सही है। क्योंकि माननीय न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण क्रमांक 4240/दो/2012 विचाराधीन है और ऐसी स्थिति में यदि विवादित भूमि पर कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो निश्चित ही विवादित स्थल की वास्तविक स्थिति परिवर्तित हो जायेगी। ऐसी स्थिति में नये निर्माण कार्य को रोका जाना न्यायहित में आवश्यक था। इस संबंध में विधिवत् विचार करने के पश्चात् तहसीलदार हटा द्वारा आदेश पारित किया गया है जिसे स्थिर रखा जाकर वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5— उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हटा के अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण से संबंधित मूल प्रकरण क्रमांक 4240/दो/2012 में स्थगन आदेश दिनांक 16.11.2015 को पारित किया गया था। जिसके लागू रहने के दौरान आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि पर बल पूर्वक निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। जिसे रोकने बावत् अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार हटा के न्यायालय में स्थगन आदेश की मांग की गयी थी। और तहसीलदार हटा द्वारा उपरोक्त मांग पर सद्भाविक विचार कर स्थगन आदेश दिनांक 06.01.2016 पारित किया है और यह स्थगन आदेश इसलिये आवश्यक था कि वर्तमान आवेदकगण द्वारा विवादित स्थल पर पिलर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया था। ऐसी स्थिति में स्थल की वास्तविक स्थिति परिवर्तित हो जाती उपरोक्त तथ्य पर विचार करने के पश्चात् तहसीलदार हटा द्वारा जो स्थगन आदेश पारित किया है वह अपने स्थान पर विधिवत् एवं सही है जिसे हस्तक्षेप किये जाने का कोई वैधानिक कारण प्रकरण में नहीं है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं तहसीलदार हटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य